राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3306/2025

दीपिका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुंनू।
5. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, मण्डावा, जिला झुंझुंनू।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हेतमसर जिला झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.07.2025
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II गणित विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चंद्रपुरा नूआ जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने लिए दिनांक 02.04.2018 को अधिसूचना जारी की। अपीलार्थी ने उक्त अधिसूचना की अनुपालना में रिक्त वांछित पद पर स्थानान्तरण के लिए अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II के पद पर अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और रिक्त पद, सेवा अवधि आदि के बारे में सभी विवरण भरे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2018 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II गणित विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 4 मंडावा, जिला झुंझुंनू में स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी ने कई बार संबंधित प्राधिकारियों से उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को इस कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला झालावाड़ से जिला झुंझुंनू में हो गया है और वे झालावाड़ को डार्क जोन मानते है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के

समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19716 / 2018 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 06.10.2018 एवं दिनांक 31.10.2018 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 4, मंडावा जिला झुंझुंनू में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के कारण अपीलार्थी ने एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 567 / 2019 दायर की। जिसके अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2023 के आदेश द्वारा झालावाड़ से कार्यमुक्त कर दिया गया और स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 27.09.2023 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुंनू के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चन्द्रपुरा, नूआ, जिला झुंझुंनू में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19716 / 2018 का आदेश दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अंतिम रूप से निस्तरण करते हुए अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित प्रतिवादियों / समुचित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे उसके बाद तीस दिवस की अवधि के भीतर, शिल्पा बोस (सुप्रा) में उल्लेखित अनुपात, शासकीय नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पालना करते हुए विधि अनुसार कथित अभ्यावेदन पर निर्णय ले। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुंनू को निर्देश जारी कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जेताखेड़ी ब्लॉक डग जिला झालावाड़ में एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 19716 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए लिखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 के आदेश दिनांक 03.07.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 6 को दिनांक 03.07.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 04.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्त कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जेताखेड़ी, ब्लॉक डग जिला झालावाड़ के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, जो अनुचित एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2025, 03.07.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को निरन्तर यथावत स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II गणित विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चंद्रपुरा नूआ जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने लिए दिनांक 02.04.2018 को अधिसूचना जारी की। अपीलार्थी ने उक्त अधिसूचना की अनुपालना में रिक्त वांछित पद पर स्थानान्तरण के लिए अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II के पद पर अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और रिक्त पद, सेवा अवधि आदि के बारे में सभी विवरण भरे तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2018 के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II गणित विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 4 मंडावा, जिला झुंझुनू में स्थानान्तरण कर दिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19716/2018 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 06.10.2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 31.10.2018 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 4, मंडावा जिला झुंझुनू में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के कारण अपीलार्थी ने एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 567/2019 दायर की। जिसके अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2023 के आदेश द्वारा झालावाड़ से कार्यमुक्त कर दिया गया और स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 27.09.2023 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चन्द्रपुरा, नूआ, जिला झुंझुनू में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2025 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से मूल पदस्थापित स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जेताखेड़ी ब्लॉक डग जिला झालावाड़ के लिए कार्यमुक्त किया गया है। हम पाते है कि अपीलार्थी को परिवेदन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को 15 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्राप्त अभ्यावेदन को 30 दिवस की अवधि के भीतर शिल्पी बोस बनाम राज्य के प्रकरण में वर्णित शासकीय नीति एवं प्रशासनिक आवश्यकतओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यावेदन निस्तारण हेतु निर्देशित कर स्पष्ट किया कि निर्णय के पारित होने की दिनांक से 45वें दिन अन्तरिम आदेश, यदि कोई हो, तो समाप्त और निष्क्रिय हो जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

याचिका संख्या 19716/2018 उक्त अंतिम निर्णय दिनांक 20.12.2024 से निस्तारित कर दी गई है और स्वयं अपीलार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में मूल पदस्थापन स्थान पर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.10.2018 एवं 31.10.2018 निष्क्रिय हो जाने से अपीलार्थी के स्थान परिवर्तन के संबंध में जारी समस्त आदेश न्यायालय निर्णय दिनांक 20.12.2024 के प्रकाश में स्वतः निष्क्रिय एवं निरस्त हो चुके हैं। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते है। इस प्रकार अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य